न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 28/2016

उनवान

1. सुगना पि0 रामचन्द्र,
2. सुखदेव पि0 रामचन्द्र, **(फौत)**
2/1. रामधन पुत्र सुखदेव
2/2. सुखपाल पुत्र सुखदेव
2/3. महिपाल पुत्र सुखदेव समस्त जाति जाट नि. आबरा की ढाणी, मावशिया, नसीराबाद
3. रामप्रताप,
4. जगदीश,
5. बद्रीलाल,
6. किशनलाल, पि0 छगनलाल पौत्र रामचन्द्र
7. बदाम देवी पत्नी छगनलाल पुत्रवधु रामचन्द्र,
8. राधाकिशन पुत्र हीरा,
9. हरजी पुत्र हीरा जाति जांट नि. आबारा की ढाणी मावशिया, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. रामलाल पुत्र रामकरण, फौत जरियें वारिसान
1/1. किशन
1/2. रामकिशन पि. रामलाल जाति जाट नि आबरा की ढाणी, मावशिया, नसीराबाद
1/3. मानी पत्नी सकराम पुत्री रामलाल जाति जाट नि. झिरोता (मदनपुरा की ढाणी) अराई
1/4. कमला पत्नी रामपाल पुत्री रामपाल जाति जाट नि. जोरावरपुरा, अराईं
1/5. केसर पत्नी कालूराम पुत्री रामलाल जाति जाट नि. सूरजपुरा, नसीराबाद
1/6. भूरी पत्नी नाथूलाल पुत्री रामलाल जाति जाट नि. जोरावरपुरा, अरांई
2. रंगलाल पुत्र रामकरण,
3. छोटी पत्नी रंगलाल,
4. अमरी पत्नी रामकिशन,
5. नीर पत्नी हरिकिशन, समस्त जाति जाट, नि0 आबारा की ढाणी मावशिया, नसीराबाद,
6. सम्पत पत्नी महावीर,
7. नाथू पुत्र महावीर,
8. रघुनाथ पुत्र चुन्नीलाल, जाति वैष्णव नि0 मावशिया, नसीराबाद
9. मनभर पुत्री चुन्नीलाल, पत्नी जगदीश जाति वैष्णव नि0 गादेरी नसीराबाद,
10. उपपंजीयक, नसीराबाद,
11. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 9 [illegible]

12. धानीदेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी धन्ना जाति [illegible] अजमेर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)
28/2016

13. राजी पुत्री छगनलाल पौत्री रामचन्द्र पत्नी सकराम जाति जाट नि. जोरावरपुरा अराई,
14., रामी पुत्री छगनलाल पौत्री रामचन्द्र पत्नी रामराज जाति जाट नि. सनोद, नसीराबाद,
15. मदन पुत्री छगनलाल, पौत्री रामचन्द्र पत्नी गोपीलाल जाति जाट नि. सनोद, नसीराबाद,
16. रिद्वकरण पुत्र हीरा जाति जाट नि. आबारा की ढाणी मावशिया नसीराबाद,
17. ज्यानी पुत्री हीरा पत्नी मेवा जाति जाट नि. मदनपुरा जेरूता अराई, अजमेर,
18. ग्यानी पुत्री हीरा पत्नी काना जाति जाट नि. जेरूता, अरांई, अजमेर,
19.राधा पुत्री हीरा पत्नी रामधन जात जाट नि0 कटसूरा, किशनगढ़, अजमेर

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 23/9/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि

1. ग्राम मावशिया के चौसाला खसरा खसरा नम्बर 5 मिन, 7 मिन, 9 मिन के वंर्किग खसरा 37 के वर्तमान खसरा नम्बर 55/2165 रकबा 0.89 व चौसाला खसरा नम्बर 1546 मिन, 1547 मिन, 1548 मिन के वंर्किग खसरा नम्बर 1574 के वर्तमान खसरा नम्बर 594 रकबा 0.61 व चौसाला खसरा नम्बर 1018 के वंर्किग खसरा नम्बर 1109 के वर्तमान खसरा नम्बर 1621 रकबा 0.15 की आराजी जरियें पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1966 के अनुसार विक्रेता खातेदार मगना पुत्र लाला जाति जाट से श्री छगनलाल, सुगनलाल व सुखदेव पि. रामचन्द्र 1/3 हिस्सा क्रेय कर कब्जा प्राप्त किया। द्वितीय विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 18.04.1966 को विक्रेता मगना पुत्र लाला से 1/3 हिस्सा राधाकिशन, रिद्वकरण, हरजी पि. हीरा ने क्रय किया व शेष 1/3 हिस्से की भूमि मगना पुत्र लाला से रामलाल, रंगलाल पुत्र रामकरण जाट ने क्रय की। परन्तु हाल जमाबंदी में खसरा नमबर 594 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 55/2165 व 1621 की सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी जबकि विक्रय पत्र अनुसार क्रेतागण के हिस्से में उक्त आराजी दर्ज करनी चाहिये थी।

2. ग्राम मावशिया के वंर्किग खसरा नम्बर 1040 के हाल खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.31 जरियें पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 22.5.73 को विक्रेता खातेदार चुन्नीलाल पुत्र राधाकिशन से रामचन्द्र पुत्र गोपाल, रामलाल पुत्र रामकरण के द्वारा क्रय की गयी किन्तु हाल जमाबंदी में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। जबकि विक्रय पत्र अनुसार क्रेतागण के हिस्से में उक्त आराजी दर्ज करनी चाहिये थी।

3. ग्राम मावशिया के वंर्किग खसरा नम्बर 21 के हाल खसरा नम्बर 28 रकबा 0.07, 29 रकबा 0.41 व वंर्किग खसरा नम्बर 22 के वर्तमान खसरा नम्बर 26/2164 रकबा 0.32 व वंर्किग खसरा नम्बर 75 के वर्तमान 118 रकबा 0.24 व वंर्किग खसरा नम्बर 76 के हाल खसरा नम्बर 117 रकबा 0.27 की भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जरियें पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 12.09.1972 को विक्रेता खातेदार भोला पुत्र रामकरण साधु से प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल पुत्र रामकरण व वादी संख्या 2 सुखदेव [illegible] रामचन्द्र, व वादी संख्या 9 हरजी पुत्र हीरा द्वारा क्रय की गयी। किन्तु उक्त आराजी [illegible] में अकेले प्रतिवादी 3 से 5 के नाम गलत दर्ज कर दी गयी। जबकि विक्रय पत्र अनुसार क्रेतागण के हिस्से में उक्त आराजी दर्ज करनी चाहिये थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

——3

4. ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 1626 के वंर्किग खसरा नम्बर 1744 के हाल खसरा नम्बर 6130 रकबा 0.80 को जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 08.01.1964 को विक्रेता खातेदार रामेश्वर पुत्र नरसिंहदास जाति महाजन से प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल पुत्र रामकरण, व छगनलाल पुत्र रामचन्द्र, व राधाकिशन पुत्र हीरा के द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गयी व कब्जा प्राप्त कर लिया किन्तु उक्त आराजी का इन्द्राज गलत तरीके सें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। जिसे दुरूस्त किया जावे।

5. ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 1601 रकबा 4–1–0 के वंर्किग खसरा नम्बर 1711 के हाल खसरा नम्बर 6484 रकबा 0.66 की भूमि जरियें पंजीबद्व बैनामा दिनांक 16.4.69 को विक्रेता खातेदार मोहनलाल पुत्र कजोडमल जाति माहेश्वरी से रंगलाल पुत्र रामकरण, सुगन पुत्र रामचन्द्र, रिद्विकरण पुत्र हीरा के द्वारा क्रय की गयी किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 रंगलाल के नाम ही दर्ज कर दी गयी। जबकि विक्रय पत्र में दर्ज हिस्सेनुसार क्रेता/वारिस के नाम दर्ज करनी चाहिये थी।

6. ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 1704 के वंर्किग खसरा नम्बर 1825 मिन के हाल खसरा नम्बर 6099 रकबा 0.14 की आराजी दिनांक 17.06.62 को विक्रेता खातेदार से रामकरण, रामचन्द्र व हीरा पि. गोपाल के द्वारा क्रय की गयी जिसका नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 26.06.1962 को स्वीकृत किया गया। चौसाला खसरा नम्बर 1704/6466 के वंर्किग खसरा नम्बर 1826 मिन के हाल खसरा नमबर 698 रकबा 0.16 की भूमि विक्रेता खातेदार से जरियें विक्रय पत्र 26.06.62 को रामकरण, रामचन्द्र, हीरा पि. गोपाल के द्वारा क्रय की गयी। जिसका इन्द्राज नामान्तकरण 195 दिनांक 26.6.62 को स्वीकृत किया गया। जिसका हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण दुरूस्त किया जावे।

7. ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नमबर 1649 व 1650 के वंर्किग खसरा नम्बर 6189 रकबा 0.82 की भूमि जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.06.192 को विक्रेता खातेदार से श्री रामकरण, रामचन्द्र, हरा पुत्र गोपाल द्वारा क्रय की गयी। पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 194 दिनांक 26.6.1962 को स्वीकृत किया गया। परन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रतिवाद संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। अतः उक्त अराजर को विक्रय पत्र के अनुसार 1/3 हिस्सा प्रतवादी संख्या 1 व 2 के नाम, 1/3 हिस्सा रामचन्द्र पुत्र गोपाल के वारिस वादीगण संख्या 1 से 7 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 से 15 व 1/3 हिस्सा का खातेदार हीरा पुत्र गोपाल के वारिस वादी संख्या 8 व 9 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 16 से 19 को घोषित किया जावे। उक्त समस्त विक्रय पत्र में अंकित आराजी मुतनाजा को बंदोबस्त विभाग द्वारा अपने अधिकारों से परे जाते हुये त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार चरण संख्या 1 में दर्शाये अनुसार घोषित किया जावे। हाल इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को बैचान करने व वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण कों जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 12 से 15, 17 से 19 के विरूद्व विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जरयी गयी। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1, 2 व वादी संख्या 2 के फौत होने पर उसके वारिस रिकॉर्ड [illegible] तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 9 व 16 स्वयं व उनके अधिवक्ता उपस्थित ही होने के कारण [illegible] कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज पैरोकार ने जाहिर किया कि [illegible] सिद्व करे। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने से [illegible]

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये तथा हरजी पुत्र हीरा व हेतराम पुत्र सुगना का शपथ पत्र [illegible] किया।

—4

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। चरण संख्या 1 में अंकित आराजी मुतनाजा ग्राम मावशिया व रामसर में स्थित है। उक्त वाद में वादीगण द्वारा कुल 7 विक्रय पत्र का विवरण दिया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार वादीगण/पूर्वज द्वारा भिन्न-भिन्न विक्रय पत्र से भिन्न-भिन्न दिनांक को आराजी मुतनाजा क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। तत्कालीन विक्रेता ने आराजी मुतनाजा का बैचान पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र में अंकित विक्रेतागण को किया था। प्रतिवादीगण द्वारा वाद का खण्डन नही किया है। जबकि उन्हे जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। साबिक राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा विक्रेतागण की खातेदारी में दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि का इन्द्राज विक्रय पत्र अनुसार नही किया जा कर त्रुटिपूर्ण तरीके से कर दिया गया है। आराजी मुतनाजा के विक्रय पत्र को आज दिवस तक सक्षम न्यायालय में चैनोती नही दी गयी है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है। चरण संख्या 1 में दर्ज कुछ आराजी विक्रय पत्र में अंकित समस्त क्रेतागण के नाम दर्ज नही कर कुछ क्रेता के नाम ही दर्ज कर दी गयी। जबकि हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का इन्द्राज विक्रय पत्र में अंकित समस्त क्रेतागण/वारिसान के नाम अंकित करना चाहिये था। वादीगण का कथन है कि ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.31 की आराजी पर रामलाल पुत्र रामकरण 1/2 हिस्सा, रामचन्द्र पुत्र गोपाल 1/2 हिस्सा क्रय की गयी है किन्तु बाहमी बंटवारे में रामचन्द्र के वारिसान के कब्जे में है। किन्तु वादीगण द्वारा बाहमी विभाजन के तथ्य सिद्व करने हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। विक्रय पत्र के अनुसार उत दोनो व्यक्तियों द्वारा हाल खसरा नम्बर 1539 क्रय किया गया है। अतः खसरा नम्बर 1539 की आराजी पर रामलाल पुत्र रामकरण 1/2 हिस्सा, रामचन्द्र पुत्र गोपाल 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित होगा। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 6099 के चौसाला खसरा नम्बर 1704 की आराजी प्रदर्श 10 व हाल खसरा नम्बर 6098 चौसाला खसरा नम्बर 1704/6466 की आराजी प्रदर्श 19 नामान्तकरण द्वारा क्रेतागण के नाम दर्ज हो गयी थी। उक्त नामान्तकरण के विपरित हाल खसरा नम्बर 6099 व 6098 का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण द्वारा वाद पत्र की चण संख्या 1 में ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 6189 रकबा 0.82 का अनुतोष भी चाहा है किन्तु उक्त खसरा नम्बर का विक्रय पत्र अथवा नामान्तकरण वादीगण द्वारा पेश नही किया गया है। अतः ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 6189 का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। आराजी मुतनाजा वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन गें राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये है। तथा साक्ष्य हेतु हरजी पुत्र हीरा व हेतराम पुत्र सुगना का शपथ पत्र पेश किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाह द्वारा भी वाद के कथनों की ताईद की है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण वाद पत्र में अंकित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर व मावशिया की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 55/2165 रकबा 0.89, 594 रकबा 0.61, 1621 रकबा 0.15 की आराजी पर राधाकृष्ण, रिद्वकरण, हरजी पि. हीरा 1/3 हिस्सा, छगनलाल, सुगनलाल, सुखदेव पि. रामचन्द्र 1/3 हिस्सा, रामलाल, रंगलाल पि. रामकरण 1/3 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता [illegible] खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.31 की आराजी पर रामलाल पुत्र रामकरण 1/2 हिस्सा, [illegible] 1/2 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। [illegible] रकबा 0.07, 29 रकबा 0.41, 26/2164 रकबा 0.32, 118 रकबा 0.24, 117 रकबा 0.27 की आराजी पर छोटी पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

—5

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रंगलाल 1/4 हिस्सा, अमरी पत्नी रामकिशन 1/8 हिस्सा, नीरू पत्नी हरिकिशन 1/8 हिस्से के स्थान पर रामलाल पुत्र रामकरण 1/6 हिस्सा, सुखदेव पुत्र रामचन्द्र 1/6 हिस्सा व हरजी पुत्र हीरा 1/6 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 6130 रकबा 0.80 की आराजी पर रामलाल पुत्र रामकरण 1/3 हिस्सा, छगनलाल पुत्र रामचन्द्र 1/3 हिस्सा, राधाकिशन पुत्र हीरा व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 13 से 15 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 6484 रकबा 0 66 पर प्रतिवाद संख्या 2 रंगलाल पुत्र रामकरण को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 1 सुगना पुत्र रामचन्द्र 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 रिद्वकरण पुत्र हीरा को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 6099 रकबा 0.14 व 6098 रकबा 0.16 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्से, वादी संख्या 1 से 7 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 से 15 को 1/3 हिस्से व वादी संख्या 8 व 9 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 16 से 19 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद
उनवान

सुगना वगै. बनाम रामलाल वगै.

दावा बाबत :— 88, 91, 92 ए, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 28 / 2016
पेश करने की दिनांक — 22.02.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक मुद्दई नौरतमल जैन अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम रामसर व मावशिया की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 55 / 2165 रकबा 0.89, 594 रकबा 0.61, 1621 रकबा 0.15 की आराजी पर राधाकृष्ण, रिद्विकरण, हरजी पि. हीरा 1 / 3 हिस्सा, छगनलाल, सुगनलाल, सुखदेव पि. रामचन्द्र 1 / 3 हिस्सा, रामलाल, रंगलाल पि. रामकरण 1 / 3 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.31 की आराजी पर रामलाल पुत्र रामकरण 1 / 2 हिस्सा, रामचन्द्र पुत्र गोपाल 1 / 2 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 28 रकबा 0.07, 29 रकबा 0.41, 26 / 2164 रकबा 0.32, 118 रकबा 0.24, 117 रकबा 0.27 की आराजी पर छोटी पत्नी रंगलाल 1 / 4 हिस्सा, अमरी पत्नी रामकिशन 1 / 8 हिस्सा, नीरू पत्नी हरिकिशन 1 / 8 हिस्से के स्थान पर रामलाल पुत्र रामकरण 1 / 6 हिस्सा, सुखदेव पुत्र रामचन्द्र 1 / 6 हिस्सा व हरजी पुत्र हीरा 1 / 6 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 6130 रकबा 0.80 की आराजी पर रामलाल पुत्र रामकरण 1 / 3 हिस्सा, छगनलाल पुत्र रामचन्द्र 1 / 3 हिस्सा, राधाकिशन पुत्र हीरा व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 13 से 15 को 1 / 3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 6484 रकबा 0.66 पर प्रतिवाद संख्या 2 रंगलाल पुत्र रामकरण को 1 / 3 हिस्सा, वादी संख्या 1 सुगना पुत्र रामचन्द्र 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 रिद्विकरण पुत्र हीरा को 1 / 3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 6099 रकबा 0.14 व 6098 रकबा 0.16 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1 / 3 हिस्से, वादी संख्या 1 से 7 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 से 15 को 1 / 3 हिस्से व वादी संख्या 8 व 9 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 16 से 19 को 1 / 3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअंखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद